Markets, Insight Out

Markets, Monday to Saturday

To book your copy, sms reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

Business Standard 50 Years of Insight

मणप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड

पूर्व का मणप्पुरम होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन: U65923K12010PIC039179

पंजीकृत कार्यालय: IV/470ए (पुराना) डब्ल्यू/638ए (नया) मणप्पुरम हाउस वलपड़ त्रिशूर, केरल 680567, कॉर्पोरेट कार्यालय: मणप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड, तीसरी मंजिल, यूनिट नंबर 301 से 315, ए विंग, 'कनकिया वॉल स्ट्रीट', अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400093, महाराष्ट्र, फोन नंबर: 022-66211000, वेबसाइट: www.manappuramhomefin.com

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन [अधिनियम], 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत मणप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड ('माहोफिन') के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना जारी की जिसमें कर्जदारों और सह-कर्जदारों को सूचना में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया। कर्जदार राशि चुकाने में विफल रहा है, इसलिए कर्जदार और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्त [अधिनियम] की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार और आम जनता को संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन मणप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जैसा कि प्रत्येक संबंधित संपत्ति के लिए नीचे उल्लेख किया गया है:

क्र. सं.	कर्जदार तथा सह-कर्जदार का नाम तथा ऋण खाता संख्या	प्रतिभूत आस्ति का विवरण जिसके संदर्भ में हित सृजित किया गया	मांग सूचना भेजने की तिथि तथा बकाया राशि	कब्जे की तिथि
1	सुनीता गिरि वनवारी गिरि /MHL01000014953/ ग्वालियर	माप भूमि 7.50 वर्ग फीट, सर्वे नं. 2941/1/1/1 वाली भूमि के भाग पर निर्मित, ग्राम पिछोर में स्थित, पीएच. नं. 24, तालुका-डबरा, वार्ड नं. 1, जिला-ग्वालियर, गोकुल धाम कॉलोनी, नवोदय स्कूल के पास, डबरा, आर.ओ. पिछोर गिर्द, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, पिन: 475115. पूर्व-विक्रेता की भूमि, पश्चिम-रोड, दक्षिण-विक्रेता का प्लॉट, उत्तर-विक्रेता का मकान	09-01-2025 तथा रु. 373689/-	23-04-2025

तिथि : 28 अप्रैल, 2025
स्थान : मध्य प्रदेश

हस्ता./- अधिकृत प्राधिकारी
मणप्पुर होम फाइनेंस लिमिटेड

pnb Housing Finance Limited

Ghar Ki Baat

पंजीकृत कार्यालय: 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन: 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट: www.pnbhousing.com

शाखा: इंदौर: ईबी एससीएच नं. 94, 244, रिंग रोड, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, ईबी सेक्टर, स्कीम नं. 94 सेक्टर ईबी, इंदौर – 452001, मध्य प्रदेश
भोपाल: द्वितीय तल, 131/8, मेन रोड, जोन 2, एमपी नगर, झूमरवाला के पास, भोपाल– 462011, मध्य प्रदेश

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन एक्ट 2002 के तहत पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को एक डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें सूचना उल्लेखित बकाया राशि को, उक्त सूचना/प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने का कहा गया था।
कर्जदार(रों) उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तगर्त कब्जा प्रत्येक खाते के सामने निम्नलिखित दिनांक को ले लिया है। कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार वास्ते ऋण समझौते के अनुसार राशि और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा। **कर्जदार(रों) का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।**

ऋण खाता सं. शाखा	कर्जधार(रों)/सह-कर्जधारों/ गारंटर का नाम	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जा सूचना की तिथि	बंधक सम्पत्तियों का विवरण
HOU/IND/0624/1275305 शाखा: इंदौर	श्री सुमा सजीवन (आवेदक), श्रीमती स्नेहा सजीवन (सह-आवेदक)	15.01.2025	रु. 19,31,530.20 (रु. उन्नीस लाख इकतीस हजार पाँच सौ तीस और पैसे बीस मात्र)	22-04-2025 सांकेतिक	प्लॉट, 106, ड्रीम होम्स स्वास्तिक, ग्राम बड़ोदिया एमा तहसील सांवेर जिला इंदौर, 80/1/2 80/2/1 76/2, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001
NHL/BHO/0918/582367 शाखा: भोपाल	श्री हेमन्त सिंह बैस (आवेदक), श्रीमती अलका बैस (सह-आवेदक)	11.02.2025	रु. 48,81,730.68 (रु. अडतालीस लाख इक्यासी हजार सात सौ तीन और पैसे अडसठ मात्र)	22-04-2025 सांकेतिक	प्लॉट नंबर 190, कस्बा सीहोर, मकान नंबर टैक्स नंबर 141, यादव मोहल्ला, मकान नंबर 37, वार्ड नंबर 35, सीहोर, मध्य प्रदेश-466001
HOU/IND/1117/456784 शाखा: इंदौर	श्री शरद बाजपेयी (आवेदक), श्रीमती ज्योति शरद बाजपेयी (सह-आवेदक)	11.02.2025	रु. 56,92,640.19 (रु. छप्पन लाख बान्वे हजार छह सौ चालीस और पैसे उन्नीस मात्र)	23-04-2025 सांकेतिक	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. 101, प्लॉट नं. 148, वर्गफुट-1100 निर्मित एरिया, प्रथम तल, नानक रीजेंसी, पलसीकर कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश-452007
HOU/IND/0516/284754 & NHL/IND/0516/288229 शाखा: इंदौर	श्री नरेश पाटक (आवेदक), श्रीमती चंदा पाटक (सह-आवेदक)	11.02.2025	रु. 24,01,703.72 (रु. चौबीस लाख एक हजार सात सौ तीन और पैसे बहत्तर मात्र)	23-04-2025 सांकेतिक	प्लॉट नं.19 मां सुंदर नगर कॉलोनी, ग्राम सांतेर तहसील महू, इंदौर, मध्य प्रदेश-453441

स्थान: इंदौर, भोपाल, तिथि: 28.04.2025
प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans — इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अचल संपत्ति की साँकेतिक तथा भौतिक अधिग्रहण सूचना

पंजीकृत कार्यालय : भूखंड–15, 6ठवाँ तल, सेक्टर– 44, इंस्टिट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा– 122002, शाखा कार्यालय : प्लॉट नं.: 226–227, प्रथम तल, पीयू–4, स्कीम नं. 54, बृज लक्ष्मी, लैंडमार्क– होटल श्योर स्टे के पीछे, रसोमा स्क्वॉयर, इंदौर– 450021, मध्य प्रदेश, गुना शाखा : तृतीय तल पवैया कॉम्प्लेक्स, एबी रोड, गुना 473001

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इंडिया शेल्टर फाइनेंस एण्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मॉग सूचना यहां इसमें इसके उपरांत अंकितानुसार खाता के समक्ष उल्लिखित तिथि पर निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ताओं तथा संपत्ति के स्वामी/प्रतिभूतिधारक को भी सूचना में अंकित राशि का उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। चूंकि संपत्ति के स्वामी तथा अन्य जन निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा अधोवर्णित ऋणकर्ताओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति/यों का उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथियों पर सॉंकेतिक / भौतिक अधिग्रहण कर लिया है। अतः अब ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति/यों का लेन-देन न करें तथा संपत्ति/यों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, निम्नानुसार अंकित एक राशि और इस राशि पर ब्याज, लागतों इत्यादि हेतु इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ता /गारंटर (संपत्ति के स्वामी) का नाम तथा ऋण खाता संख्या	प्रभारित/बंधककृत संपत्ति का विवरण (संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश निम्न में समाविष्ट हैं)	माँग सूचना की तिथि, माँग सूचना की तिथि के अनुसार देयराशि	अधिग्रहण की तिथि
श्री/श्रीमती राम बाई, / श्री/श्रीमती आशा राम कुशवाहा / श्री/श्रीमती देवेंद्र, पता : मकान नं. 8/439 पुरानी छावनी, 8 वार्ड की कंटॉर्ल के पास, गुना– 473001, मध्य प्रदेश, ऋण खाता संख्या : HL1900001436	आवासीय भूमि के समस्त वह भाग तथा अंश जो सर्वेक्षण संख्या 71 मिन. ब्लॉक क्रमांक 151 हनुमान टेकरी गुना नगर पालि. का पीएच नं. 75, हनुमान टेकरी गुना तहसील एवं जनपद गुना (मध्य प्रदेश) में स्थित है, क्षेत्रफल 800 वर्ग फीट, संपत्ति की सीमा इस प्रकार है :– पूर्व– ब्लॉक नं. 149, पश्चिम– प्रस्तावित सड़क 22 फीट चौड़ी, उत्तर– ब्लॉक 150 और 151 का शेष भाग, दक्षिण– प्रस्तावित सड़क 18 फीट चौड़ी।	मांग सूचना दिनांक 14.05.2021, रु. 3,11,242.27/– (रुपये तीन लाख ग्यारह हजार दो सौ बयालीस और सत्ताईस पैसे मात्र) 31.07.2021 तक 01.08.2021 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्कों और लागत सहित।	22.04.2025 साँकेतिक
श्री/श्रीमती बंती बाई, श्री/श्रीमती सुभाष, पता : मकान नं. 247 ग्राम चापानेर खाचरोद 456224, मध्य प्रदेश, ऋण खाता सं: HL45CHLONS000005026694	मकान नं. 316 के समस्त वह भाग तथा अंश जो पीएच. नं. 12, ग्राम चापानेर, तहसील खाचरोद, रतलाम, मध्य प्रदेश में स्थित हैं जिनका क्षेत्राधिमापन 800 वर्ग फुट है। संपत्ति की सीमा इस प्रकार है :– पूर्व– माताजी मंदिर, पश्चिम– रामेश्वर का प्लॉट, उत्तर– दादू का घर, दक्षिण– सड़क।	11.10.2024, रु. 742311/– (रुपये सात लाख बयालीस हजार तीन सौ ग्यारह मात्र) 09.10.2024 तक 10.10.2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्कों और लागत सहित	23.04.2025 भौतिक
1. स्वर्गीय मनीष कुमार के कानूनी उत्तराधिकारी, 2. श्री/श्रीमती सनी चंदेल, पता : बाड़नगर रोड, हरिजन मोहल्ला खाचरोद रतलाम मध्य प्रदेश, ऋण खाता संख्या : HL45CHLONS000005026694	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एमयूएन. के उत्तर–पूर्वी भाग मकान क्रमांक 30, वार्ड क्रमांक 09, हरिश्चंद्र गली खाचरोद तहसील खाचरोद जिला उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित हैं जिनका कुल क्षेत्रफल– 422 वर्ग फीट है। संपत्ति की सीमा इस प्रकार है :– पूर्व– गली, पश्चिम– सुदेश का मकान, उत्तर– रोड, दक्षिण– रमेश चंद्र का मकान।	मांग सूचना दिनांक 24.04.2024, रु. 683966/– (रुपये छह लाख तिरासी हजार नौ सौ छियासी मात्र) 23.04.2024 तक 24.04.2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्कों और लागत सहित	23.04.2025 भौतिक
1. श्री/श्रीमती रजनी कुमावत 2. श्री/श्रीमती रामनिवास कुमावत 3. पता : बाबूलाल परमार के मकान में, वार्ड क्रमांक 02 आवास नगर देवास 455001 मध्य प्रदेश, ऋण खाता संख्या : HL45CHLONS000005070783	मकान सं. सी5/52 धारक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, जो एलआईजी पप के स्वरूप में सेक्टर– सी डब्ल्यूएन 02 आवास नगर देवास तहसील और जिला देवास में स्थित है। संपत्ति की सीमा इस प्रकार है :– पूर्व– सड़क, पश्चिम– मकान सं. सीएस/49 एलआईजी ii, उत्तर– मकान सं. सीएस/53 एलआईजी ii, दक्षिण– मकान सं. सी5/51 एलआईजी ii	14.10.2023, रु. 1051243/– (रुपये दस लाख इक्यावन हजार दो सौ तैंतालीस मात्र) 12.10.2023 तक 13.10.2023 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्कों और लागत सहित।	25.04.2025 भौतिक

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री गौरव सरैया (7389148935), श्री संजय सिंह राठौड़ (+91 9993460061) से संपर्क करें। (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थान : मध्य प्रदेश, दिनाँक : 28–04–2025
इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

MANAPPURAM HOME FINANCE LTD. — मणप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड

पूर्व में मणप्पुरम होम फाइनैंस प्रा. लि.
CIN: U65923K12010PLC039179

यूनिट नं. 301-315, तीसरी मंजिल, ए विंग, कनकिया वॉल स्ट्रीट, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400093 सम्पर्क सं.: 022-68194000/022-66211000

मांग नोटिस

जबकि, मणप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय IV/470ए (पुराना) W/638ए (नया), मणप्पुरम हाउस, वलपड, त्रिशूर, केरल-680567 में है और भारत में विभिन्न स्थानों पर शाखाएँ हैं (यहां आगे "MAHOFIN" कहा गया है) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पंजीकृत कंपनी है और भारत सरकार, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी 18 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3466 (ई) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (एम) के उप-खंड (iv) के अर्थानुसार एक वित्तीय संस्थान है (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और आवास इकाइयों के निर्माण और/या खरीद के लिए ऋण देने के व्यवसाय में संलग्न है और जबकि, नीचे उल्लिखित चार्ट के कॉलम संख्या 2 में कर्जदार/सह-कर्जदारों ने MAHOFIN से ऋण प्राप्त किया है और चूंकि MAHOFIN सरफासी अधिनियम के तहत प्रत्याभूत लेनदार है, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदारों को नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि को उस पर आगे के ब्याज के साथ चुकने के लिए मांग नोटिस जारी किया, लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को नोटिस नहीं दिया जा सका। इसके अतिरिक्त, नीचे सूचीबद्ध उक्त कर्जदारों की जानकारी के प्रयोजनों के लिए उक्त कर्जदारों को इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार के नाम/एलएएन/शाखा	प्रत्याभूत परिसंपत्ति जिसके लिए हित किया गया है, का विवरण	एनपीए की तिथि	भेजे गए नोटिस की तिथि एवं बकाया राशि
1	कृष्णा बाई, राजेन्द्र सिंह/ MHL010000091150/ ग्वालियर	ग्राम-मोरार, पी.एच. सं.-92, तालुका-ग्वालियर, वार्ड सं. 62, बालाजी मंदिर के निकट, जिला-ग्वालियर, डाकघर मोरार एच.ओ., ग्वालियर, मध्य प्रदेश, पिन: 474006 में स्थित सर्वे सं. 531/ मिन-2 वाली भूमि के हिस्से पर निर्मित 440 वर्ग फीट क्षेत्रफल परिमाप का मकान सं. 2263। पूर्व-वृंदावन का मकान, पश्चिम-विक्रेता का प्लॉट, दक्षिण-सड़क, उत्तर-भोरी का मकान।	07-04-2025	10-04-2025 एवं रु. 404637/-
2	बबीता मालवीय एक्स, चंद्र शेखर मालवीय/ MHL00550028907/ यशवंत निवास इंदौर	ग्राम-सिनदानी, ग्राम पंचायत रबादिया, तहसील टोंक खुर्द, जिला देवास, डाकघर नंदाल, देवास, मध्य प्रदेश, पिन: 455116 में स्थित पटवारी हल्का सं. 28, सरल सं. 2492, सर्वे सं. 32, में कुल क्षेत्रफल 1008 वर्ग फीट परिमाप का मकान सं. 24। पूर्व-अखिलेश के कथित मकान का शेष हिस्सा, पश्चिम-सोदान जी का मकान, दक्षिण-दूलेचंद जी की भूमि, उत्तर-सड़क।	09-04-2025	12-04-2025 एवं रु. 164413/-

अतेव, ऊपर उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर संबंधित कर्जदार/सह-कर्जदार के विरुद्ध ऊपर दर्शाई गई कुल बकाया राशि का भुगतान करने का आह्वान किया जाता है। संबंधित कर्जदार/सह-कर्जदारों द्वारा कुल बकाया राशि के साथ आगे की ब्याज का भुगतान करने में विफल होने पर MAHOFIN उपर्युक्त वर्णित संपत्तियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तन हेतु धारा 13(4) के तहत कार्रवाई हेतु बाध्य है, अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित अन्य तरीकों से नोटिस की तामील के लिए भी कदम ऊठाये जा रह हैं। आपको यह भी नोटिस दिया जाता है कि सार्वजनिक नीलामी या निजी ट्रीटी, बिक्री द्वारा हस्तांतरण के लिए सरफासी अधिनियम की धारा 13(8) में यथाविवरणानुसार, नोटिस प्रकाशन की तारीख से पूर्व किसी भी समय समस्त बकाया राशि का लागतों, प्रभारों और MAHOFIN द्वारा वहन व्ययों के भुगतान पर उक्त बंधन संपत्ति को मुक्त कराया जा सकता है।
यह भी संज्ञान लें कि एतद्द्वारा सरफासी की धारा 13 (13) के अनुसार आप प्रत्याभूत संपत्तियों का बिक्री, पट्टे या अन्य किसी भी तरीके से हस्तांतरण और/या लेनदेन करने से निषिद्ध हैं।

तारीख: 28/04/2025 । स्थान : मध्यप्रदेश
हस्ता/ अधिकृत अधिकारी, मणप्पुरम होम फाइनेंस लि.

बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : सेरेब्रम आईटी पार्क बी–2 बिल्डिंग, 5वां तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र – 411014,
शाखा कार्यालय : श्री राम पैलेस प्रथम तल स्टेशन रोड, सिंडिकेट बैंक के ऊपर, रतलाम, मध्य प्रदेश 457001, पाटिल नर्सिंग होम के सामने, निकट एचडीएफसी बैंक, आनंद नगर मीनाक्षी रोड, नर्मदापुरम, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश–461001

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना

अधोहस्ताक्षरी मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा निम्नलिखित सूचना कर्जदार(रों)/ सह–कर्जदार(रों) को जारी कर रहा है, जो अपनी देयता का निर्वहन करने में असफल रहे हैं अर्थात बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड द्वारा उनको दिए गए आवास ऋण(णों)/सम्पत्ति के ऐवज में ऋण(णों) के मूलधन और उसपर उद्भूत ब्याज एवं अन्य प्रभारों के प्रतिभुगतान में असफल रहे हैं और उसके परिणामस्वरूप ऋण अनार्जक आस्ति हो गए हैं। तदनुसार उनको वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की 13 (2) और उनके नियमों के तहत सूचनाएं, उनके अंतिम ज्ञात पते पर, जारी की गई थीं। तथापि वे बिना सुपुर्दगी/बिना तामील वापस प्राप्त हो चुकी हैं, अतः कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों) को इस प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे उनके द्वारा समय समय पर प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के तहत बकाया रशियों का भुगतान करें।

ऋण खाता संख्या/कर्जदार(रों)/ सह–कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) का नाम एवं पता	प्रतिभूत/बंधक अचल आस्ति/प्रवर्तित की जाने वाली सम्पत्ति का पता	मांग सूचना तिथि और राशि
शाखा : रतलाम (एलएएन नंबर H534RLP0246446) 1. दिनेश चन्द्र गोयल (कर्जदार) 2. बद्रीलाल गोयल (सह–कर्जदार) 3. चन्द्रशेखर गोयल (सह–कर्जदार) सभी का पता : मकान नंबर 279, ग्राम धामोतर, माता मंदिर के पास, रतलाम–457222	निम्न वर्णितानुसार गैर–कृषि भूमि सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : भवन कर पंजी. सं. 299, अजयपाल चौराहा, ग्राम धामोत्तर, तहसील एवं जिला रतलाम, मध्य प्रदेश–457001, पूरब : श्री रामरतन एस/ओ श्री रामचन्द्र का प्लॉट , पश्चिम : श्री दशरथ एस/ओ श्री गोवर्धनलाल का मकान, उत्तर : सीसी रोड, दक्षिण : श्री आत्मा राम एस/ओ श्री रूघनाथ जाट का मकान	09 अप्रैल 2025 रु. 3,10,808/– (रुपये तीन लाख दस हजार आठ सौ आठ)
शाखा : होशंगाबाद (एलएएन नंबर H5E2FRL0335641) 1. जाहिद खान (कर्जदार) 2. फरीद खान (सह–कर्जदार) पता : 329 के एम नंबर 326 के से 360 राम लोहिया वार्ड, पिपरिया जिला होशंगाबाद–461775 3. रविया बी (कानूनी वारिस के माध्यम से) (सह–कर्जदार) 1 एवं 3 का पता : वार्ड नंबर 16 गली नंबर 04 आवास कालोनी पोस्ट बनखेड़ी होशंगाबाद–461990	निम्न वर्णितानुसार गैर–कृषि भूमि सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : के.एच. नंबर 250/8, 251/7, पी.एच. नंबर 21 बी. नंबर 157, लोहिया वार्ड टावर मोहल्ला, मौजा देवगांव पिपरिया, तहसील पिपरिया, मध्य प्रदेश–461775, पूरब : शकूर खान का मकान, पश्चिम : अन्य का प्लॉट, उत्तर : नाला, दक्षिण : नगरपालिका से रोड	09 अप्रैल 2025 रु. 5,59,745/– (पांच लाख उनसठ हजार सात सौ पैंतालीस रुपये मात्र)
शाखा : रतलाम (एलएएन नंबर HH534HLD0313928 दिनांकित 22–अक्टूबर–2020 और H534HLT0391545) 1. राजेश संकला (कर्जदार) 2. डाली संकला (सह–कर्जदार) दोनों का पता : एम. नंबर 58, लक्ष्मी नगर बी कालोनी, रतलाम, मध्य प्रदेश–457001	निम्न वर्णितानुसार गैर–कृषि भूमि सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट नंबर 58 के भाग पर स्थित सम्पत्ति, भूमि सर्वेक्षण संख्या 505/2, लक्ष्मीनगर "बी कालोनी, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश 457001, पूरब : रोड, पश्चिम : प्लॉट नंबर 58 के शेष भाग पर निर्मित मकान, उत्तर : रोड, दक्षिण : प्लॉट नंबर 58 के शेष भाग पर निर्मित मकान	09 अप्रैल 2025 रु. 13,55,328/– (रुपये तेरह लाख पचपन हजार तीन सौ अठ्ठाईस मात्र)
शाखा : रतलाम (एलएएन नंबर H534RLP0425528) 1. सीताराम कटारा (कर्जदार) पता : एम.एस. कोजन खेड़ा, जाओरा, मध्य प्रदेश–457226 अन्य पता – मकान नंबर 53, वार्ड नंबर 6, पंचायत भवन के पास, नयी आबादी, खोजन खेड़ा, रतलाम, मध्य प्रदेश–457226	निम्न वर्णितानुसार गैर–कृषि भूमि सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : पंचायत रजिस्टर नंबर 11, पी.एच. नंबर 46, खोजनखेड़ा, तहसील जाओरा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश 457226, रतलाम, मध्य प्रदेश 457001, पूरब : भंवर लाल एस/ओ नागू जी कीर का मकान, पश्चिम : गली, उत्तर : रोड, दक्षिण : मदन जी का मकान	09 अप्रैल 2025 रु. 4,37,643/– (रुपये चार लाख सैंतीस हजार छह सौ तैंतालीस मात्र)
2. चंदा बाई कटारा (सह–कर्जदार) पता : मकान नंबर 024, ग्राम न खोजन खेड़ा, निकट मंदिर, जाओरा, मध्य प्रदेश–457226		

यह कदम सूचना की वैकल्पिक तामील हेतु उठाया जा रहा है। उपरोक्त कर्जदारों तथा/अथवा सह–कर्जदारों/गारंटरों को सलाह दी जाती है कि वे बकाया राशि का भुगतान भावी ब्याज के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर कर दें, जिसमें असफल रहने पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति आस्ति/बंधक सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतु आगे कार्यवाही (बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के पास उपलब्ध अन्य अधिकार उपायों को प्रतिकूल प्रभावित किए बगैर) की जाएगी। उपरोक्त नामक पार्टियों को उपरिवर्णित सम्पत्तियों को हस्तांतरित नहीं करने, तृतीय पक्ष हित सृजित नहीं करने की सलाह भी दी जाती है, जिन पर कि बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड का प्रभार है।

तिथि : 28-04-2025 स्थान :- भोपाल
हस्ता./-, प्राधिकृत अधिकारी, बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

GRIHUM HOUSING FINANCE — गृहम हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्ववर्ती पूनावाला हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय: 8वीं तल, बी–बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगाँव, पुणे, महाराष्ट्र–411014

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8(1)) कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, **गृहम हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती पूनावाला हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड जैसा कि पूनावाला हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम 17 नवंबर, 2023 से गृहम हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड परिवर्तित हो गया (पूर्ववर्ती मैगमा हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड और मूल रूप से जीई मनी हाऊसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम में निगमित)** यहाँ आगे उपर्युक्त कारपोरेट/पंजीकृत कार्यालय का प्रत्याभूत ऋणदाता कहा गया है, के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहाँ आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अधोल्लिखित तारीख को मांग सूचना जारी की थी जिसमें कर्जदारों से उक्त सूचना में उल्लिखित राशि को उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया।
कर्जदारों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर कर्जदारों और सर्व सामान्य को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का नीचे उल्लिखित तारीखों को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों और सर्व जन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन राशि और इस पर ब्याज के लिए प्रत्याभूत ऋणदाता के प्रभार के अधीन होगा। प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समयावधि में अधिनियम की धारा–13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। कब्जे में ली गई संपत्ति का विवरण निम्नवत् है–

क्र. सं.	कर्जदारों के नाम	संपत्ति का विवरण	कब्जा लेने की तारीख	सांविधिक मांग सूचना की तारीख	मांग नोटिस में राशि (रु.)
1.	तरूण राणावत, भंवर सिंह, हिम्मतकुंवर बाई जगदीश, जगदीश राणावत	सर्वे क्रमांक 756 पर प्लॉट/मकान नंबर 253, पटवारी हलका नंबर 02, वार्ड नंबर 14, गाँव बरखेड़ा सोमा, तहसील बागली, देवास, माप 3960 वर्ग फुट के समस्त भाग व खंड। दस्तावेजों के अनुसार सीमाएँ:– **पूर्व–** सड़क, **पश्चिम–** श्री सूरज सिंह का मकान, **उत्तर–** श्री सूरज सिंह का मकान, **दक्षिण–** श्री राजे